न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2505–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–11–15 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल 3, तहसील हुजूर प्रकरण कमांक 2/अ–12/2015–16.

छोटेलाल आत्मज कनीराम
निवासी व कृषक ग्राम समरदा कलियासोत
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1– चिंताबाई पुरकाम पत्नी स्व. जगन्नाथ पुरकाम
2– दीपक पुरकाम पिता स्व. जगन्नाथ पुरकाम
निवासीगण 43, एन–2, हबीबगंज, भोपाल
कृषक कृष्णापुरम कॉलौनी समरदा कलियासेत
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री राधेश्याम अहिरवार, अभिभाषक, आवेदक
श्री अवधेश सक्सेना, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल 3, तहसील हुजूर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–11–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा ग्राम समरधा कलियासोत स्थित प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक मण्डल 3, तहसील हुजूर द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–12/2015–16 दर्ज कर दिनांक 2–11–15 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण, आवेदक के पड़ोसी कृषक है, जिसके पास ग्राम समरदा कलियासोत तहसील हुजूर भोपाल में भूखण्ड कमांक 296 रकबा 700 वर्गफीट का प्लाट है ।

(2) अनावेदकगण द्वारा आवेदक को बगैर सूचना दिये, आवेदक की अनुपस्थिति में राजस्व निरीक्षक से दिनांक 1–11–15 को सीमांकन कराया गया है, जिसकी कार्यवाही में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं हैं ।

(3) राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 1–11–15 को किये गये सीमांकन में आवेदक की भूमि पूर्वी भाग रकबा 297 वर्गफीट निकाल दी है ।

(4) आवेदक का खसरा नम्बर 171 रकबा 0.420 हेक्टेयर का पूर्ण रूप से बटान हुआ है तथा अनावेदकगण का खसरा नम्बर अलग है ।

(5) राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों व आवेदक को सूचना दिये बगैर, उनकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है, जो कि संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 2014 आर.एन. 69 एवं 2014 आर.एन. 259 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक एवं पड़ोसी कृषकों को सूचना दी गई है, किन्तु आवेदक सूचना उपरान्त भी सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों एवं पंचों के समक्ष विधिवत सीमांकन किया जाकर, सीमांकन प्रतिवेदन बनाया गया है, जिस पर उनके हस्ताक्षर भी है । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन में अनावेदकगण की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा पाया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक, अनावेदकगण की भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाने की नीयत से इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के अभिलेख से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक

द्वारा आवेदक को जारी सूचना पत्र की तामीली उसके पुत्र पर की गई है । इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक सहित सभी पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर उपस्थित पंचों के समक्ष विधिवत सीमांकन किया गया है । आवेदक द्वारा तर्कों में सीमांकन के गुण–दोष पर कोई आपत्ति नहीं की गई है । आवेदक द्वारा पूर्व में हुए बटान का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए उनके द्वारा इस संबंध में उठाया गया आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल 3, तहसील हुजूर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–11–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर